XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – अशोकनगर

प्रकरण क्रमांक निग0 595–दो/12

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-8-14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में की गई आपत्ति पर विचार किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण म.प्र. समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचकों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम, 1976 का है । यह निगरानी जिलाध्यक्ष के आदेश के विरूद्ध पेश की गई है । उक्त अधिनियम की धारा 8 एवं 9 में एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध केवलएक अपील का प्रावधान है और कलेक्टर का आदेश अंतिम माना गया है । तथा किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी में अपील या पुनरीक्षण के तौर पर या किसी मूल वाद, आवेदन या किन्हीं निष्पादन कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा । इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम के तहत कलेक्टर का आदेश अंतिम है । दर्शित परिस्थिति में अनावेदक अधिवकता द्वारा प्रचलनशीलता पर प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार करते हुए यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के.सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र.,ग्वालियर	

माननीय राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2012 निगरानी — 595-II/12

श्री .... द्वारा आज दि. 15-3-12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मनोज जायसवाल पुत्र श्री रमेश जायसवाल
आयु 38 साल व्यवसायस वकालत निवासी–
विलाला मील के पीछे अशोक नगर

.... **आवेदक**

बनाम

1. म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला अशोक नगर
2. अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर
3. छत्ता पुत्र कलुआ निवासी– बेरखेडल तूमेन तहसील अशोक नगर

... रेस्पो0 / आवेदक

4. रामभरोसा पुत्र रामरतन जाति लोधी निवासी– हीरावाग के सामने गुना
5. अशोक पुत्र रामरतन लोधी निवासी– वेरखेडी तूमेन तहसील अशोक नगर
6. म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला अशोक नगर

.... फार्मल रेस्पो0